**भारत सरकार**

**सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1014**

**उत्‍तर देने की तारीख: 03.12.2012**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में निवेश की सीमा में संशोधन करना**

1014. **श्रीमती झरना दास बैद्य:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वर्गीकृत करने के लिए निवेश की सीमा को संशोधित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या-क्या मापदण्ड अपनाएं जायेंगे?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री के. एच. मुनियप्‍पा)**

(क) से (ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित किया गया है। वर्गीकरण का मौजूदा मापदंड विनिर्माण उद्यमों के मामले में संयंत्र व मशीनरी में निवेश और सेवा उद्यमों के मामले में उपस्करों में निवेश पर आधारित है। समय-समय पर अधिनियम में संशोधन के सुझाव प्राप्त होते हैं, जिसकी निरंतर जांच की जाती है।

\*\*\*\*\*